

प्रेस-विज्ञप्ति

1- थाना-रानी की सराय

01 किलो 200 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक 26.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना रानी की सराय श्री दिलीप कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में उ०नि० श्री संजय कुमार सिंह थाना रानी की सराय मय हमराह हे०कां० मुलायम सिंह यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 1 किलो 200 ग्राम गाँजा के साथ समय करीब 21.30 बजे कोटिला नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम हारिस पुत्र इम्तियाज अहमद ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया। बरामद गाँजा के सम्बन्ध में पुछने पर बताया कि मैं काफी गरीब आदमी हूँ गाँजा का खरीद व बिक्री कर अपना जीवन यापन करता हूँ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 0099/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

हारिस पुत्र इम्तियाज अहमद ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०स० 0099/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 379/411 भा०द०वि० थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०स० 23/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़।
3. मु०अ०स० 0099/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी

1 किलो 200 ग्राम गाँजा।

*गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० संजय कुमार सिंह, हे०कां० मुलायम सिंह यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

2- थाना-रानी की सराय

23 शीशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

*पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह * द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक

26.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना रानी की सराय श्री दिलीप कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में उ०नि० अरविन्द कुमार यादव मय हस्बुल तलब का० दीपक यादव , का०सत्येन्द्र यादव के साथ मुखबर की सूचना पर एक व्यक्ति को अल्लीपुर जाने वाले मार्ग के पास से नहर के किनारे खड़े होकर अवैध शराब बेच रहे व्यक्ति को समय 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अविनाश कुमार S/O मुन्ना प्रसाद R/O सम्मोपुर आइमा PS रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से 23 शीशी ठेका की शराब जिस पर बन्टी बबली का लेवल लगा हुआ बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहा। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 100/2021 धारा 60 (1) Ex Act पंजीकृत कर अग्रीम कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अविनाश कुमार S/O मुन्ना प्रसाद R/O सम्मोपुर आइमा PS रानी की सराय जनपद जमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 100/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी

23 शीशी अवैध देशी शराब

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

1. उ०नि० अरविन्द कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
2. का० दीपक यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
3. का० सत्येन्द्र यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

3- थाना- कप्तानगंज

मंदबुद्धी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.07.2021 को श्री संजय कुमार राजभर पुत्र रामकृपाल राजभर ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के शिकायत के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु०अ०सं० 105/2021 धारा 376/452 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में बनाम प्यारेलाल पुत्र रामसमुझ ग्राम बोधीपट्टी के पंजीकृत किया गया है। विवेचना के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 5 J(2)/6 पोक्सो एक्ट पाया गया तथा धारा 3/4 पोक्सो एक्ट का लोप किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 27.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री देवानन्द मय हमराहियान के मुखबीर की सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 105/2021 धारा 376/452 भादवि व 5 J(2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्यारेलाल पुत्र रामसमुझ निवासी ग्राम बोधीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उसके हाल पता ग्राम कादीपुर हरिकेश थाना

कप्तानगंज से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होने हेतु रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्यारेलाल पुत्र रामसमुझ निवासी ग्राम बोधीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम ग्राम कादीपुर हिरकेश थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 105/2021 धारा 376/452 भादवि व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. प्र0नि0 देवानन्दथाना थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 रामअशीष राय थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 अभिषेक कुमार सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 अखिलेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
5. महिला आरक्षी दिपा बिन्दुआ थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।

4- थाना- महाराजगंज

अपहरण के मामले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में प्र0नि0 महाराजगंज श्री गजानन्द चौबे के के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.08.21 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह का0 दीनदयाल कुशवाहा के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/21 धारा 363 , 366 IPC की विवेचना में कस्बा महाराजगंज मे मामूर था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 234/21 धारा 363 , 366 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त विककी शर्मा पुत्र रामनयन शर्मा ग्राम रूपयनपुर कोतवाली महाराजगंज आजमगढ़ इस समय रूपयनपुर पुलिया के पास मौजूद है । इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराही के कस्बा महाराजगंज से रवाना होकर रूपयनपुर पुलिया से कुछ दूरी पहले पहुँचे तो देखा कि पुलिया पर एक व्यक्ति खड़ा है । जिसको पुलिस बल द्वारा एक बारगी दबिश देकर समय 10.15 बजे सुबह गिरफ्तार कर लिया गया । नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विककी शर्मा उर्फ सुग्रीव शर्मा पुत्र रामनयन शर्मा ग्राम रूपयनपुर कोतवाली महाराजगंज आजमगढ़ बताया । अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

विककी शर्मा उर्फ सुग्रीव शर्मा पुत्र रामनयन शर्मा ग्राम रूपयनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 234/21 धारा 363, 366 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह का0 दीनदयाल कुशवाहा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

5- थाना- जीयनपुर

1 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 26.08.2021 को उ०नि० भगत सिंह यादव चौकी इमिलिया से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करता हुआ सरकारी अस्पताल छपरा सुल्तान पर पहुंचा कि डियूटी में लगे कर्मचारीगण से बातचीत कर रहा थे कि जरिए मुखविर सूचना मिली कि मु०अ०सं० 27/21 धारा 147/148/149/307/34/419/420/ 467/468/471 IPC व 4/25 A.ACT व मु०अ०सं० 28/21 धारा 3/5ए/8 गोबध नि 0 अधि० व 11 च पशु क्रूरता अधि० से सम्बन्धित वांछित अभि० किसी कार्य से चुनहवा जा रहा है । इस सूचना पर उ०नि० भगत सिंह यादव ने का० सुजीत कुमार को साथ लेकर छपरा सुल्तानपुर से प्रस्थान कर चुनहवां पहुँच कर बैंक के पास खड़े एक व्यक्ति को घेर घार कर समय 15.35 बजे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजू उर्फ सदरे आलम पुत्र नियाज अहमद उर्फ कलेक्टर निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया । गिरफ्तार अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

राजू उर्फ सदरे आलम पुत्र नियाज अहमद उर्फ कलेक्टर निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 27/21 धारा 147/148/149/307/34/419/420/ 467/468/471 IPC व 4/25 A.ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 28/21 धारा 3/5ए/8 गोबध निवासरण अधि० व 11च पशु क्रूरता अधि० थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० श्री भगत सिंह यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. का० सुजीत कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।